966 21/1/20

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 141/सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/12/19	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी शिशपाल सिंह पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी खारिया जेठवाकाबास ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।	2019/00260

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खारिया कनीराम की जमाबन्दी संवत 2073–76 नया खाता खंख्या 226 पुराना खाता संख्या 27 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में शिसुपाल पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी जेठवाकाबास खातेदार दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का नाम आधार कार्ड परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का सही नाम शिशपाल पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी जेठवाकाबास खातेदारहै। प्रार्थी का नाम शिशपाल पुत्र कुंभाराम किया जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई पटवार हल्का खारियाकनीराम भु अभिलेख नि. खूड़ी व उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबंदी संवत 2073–76 में प्रार्थी का नाम शिसुपाल पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी जेठवाकाबास खातेदार दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का सही नाम शिशपाल पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी जेठवाकाबास है। जो शुद्ध किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एंव उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खारिया कनीराम तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में नया खाता संख्या 226 पुराना खाता संख्या 27 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैः–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	**खारिया कनीराम**	**226/27**	**शिसुपाल पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी जेठवाकाबास खातेदार**	**शिशपाल पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी जेठवाकाबास खातेदार**

राहिन की प्रविष्ट यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ व शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा फतेहपुर शेखावाटी को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2020.03.18 16:14:07 IST
Reason: SelfAttested